



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

आदेश
उप-कार्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य को उनके नामों के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त
चार्ज व आदान-प्रदान की शक्तियां तत्काल प्रभाव से दी जाती है:-

क्र०	जिस संस्थान की आदान-प्रदान शक्तियां दी जाती है।	जिन संस्थान के प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक को आदान प्रदान की शक्तियां दी जाती है।	रिमाकर्स
1.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालड़ावास (महेन्द्रगढ़)	श्री सुरेन्द्र कुमार कौशिक, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महेन्द्रगढ़	यह कार्य उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त दिया जाता है तथा इस कार्य के लिये उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा। जब तक वहां पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती।
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कादमा (भिवानी)	श्री ईश्वर चन्द, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी	-यथो-
3.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कुशक (पलवल)।	श्री अशोक कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, फतेहपुर बिलोच	-यथो-
4.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारापुर (अम्बाला)।	श्री राम कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बराड़ा एट होली।	-यथो- श्री सुदेश पाल सैणी, प्रधानाचार्य की दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत्त होने उपरांत यह आदेश दिनांक 1.1.2017 से प्रभावित होंगे।

दिनांक 14.12.2016

अंशज सिंह
निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृ० क्र० केसी/टीई/99/158/डीडीओ/13892

दिनांक: 14-12-16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. संयुक्त निदेशक (तकनीकी)।
2. संयुक्त निदेशक (मशीनरी)।
3. नोडल अधिकारी विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने बारे।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालड़ावास, कादमा, कुशक, भारापुर, महेन्द्रगढ़, भिवानी, फतेहपुर बिलोच, बराड़ा एट होली।
5. खजाना अधिकारी, महेन्द्रगढ़, भिवानी, अम्बाला, पलवल।
6. सम्बन्धित अधिकारी।

सहायक निदेशक (स्थापना-II)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,